

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

पात्रता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीया/श्री/श्रीमति.....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्रीग्राम.....

तहसील.....जिला.....के निवासी है। जिसकी खातेदारी

भूमि ग्रामतहसील.....जिला.....के राजस्व रिकार्ड

खाता संख्या.....खसरा नम्बर.....रकबा.....में दर्ज है।

प्रार्थी/प्रार्थीया/परिवार के किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में पात्रता की जाँच पटवारी हल्का द्वारा की गई जो निम्न प्रकार है-

1. प्रार्थी/प्रार्थीया सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड का कर्मचारी नहीं है
2. प्रार्थी/प्रार्थीया द्वारा किसी भी प्रकार की पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा/रही है
3. प्रार्थी/प्रार्थीया की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है
4. प्रार्थी/प्रार्थीया के परिवार का किसी भी सदस्य द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है।
5. उक्त भूमि रिकॉर्ड व जमाबंदि दिनांक 01.02.2019 के बाद की partition deed, gift deed, sale deed के अन्तर्गत नहीं है।
6. पति-पत्नी दोनों के आधार कार्ड की प्रतियाँ संलग्न कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार जाँच कर ली गई है प्रार्थी/प्रार्थीया किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र है। रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत.....

सरपंच

ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर

पटवार हल्का